निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1933 (श0)

(सं0 पटना 784) पटना, बुधवार, 21 दिसम्बर 2011

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2011

सं0 वि०स०वि०-35/2011-3387/वि०स०—"बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक, 2011", जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

गिरीश झा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा ।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक 2011

[वि०स०वि-33/2011]

बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 में संशोधन के लिए विधेयक।

प्रस्तावनाः– चूँकि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस अधिनियम के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, ताकि इन्हें प्रजातांत्रिक रुप से अधिक सुशासित बनाया जा सके तथा निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन अधिक पारदर्शी हो सके।

और चूँकि, बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 में इस प्रयोजनार्थ कतिपय संशोधन लाना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** – (1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह संशोधन बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 18, 2008) के प्रभाव में आने की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

2. **बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 14क (1) का प्रतिस्थापन।** – उक्त अधिनियम की धारा–14क की उप–धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

   "(1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबन्धित समिति की उपविधि के किसी प्रावधानों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली सपठित बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए विहित रीति से किया जायगा :

   परन्तु विद्यमान प्रावधानों के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालित निबंधित सहकारी सोसाईटी के सभी पूर्व निर्वाचन सुरक्षित रहेंगे :

   परन्तु, और कि, सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न कराने संबंधी कोई कार्रवाई, आदेश, निर्णय इस संशोधन के अधीन किया गया समझा जायेगा तथा वैसा सम्पन्न कोई निर्वाचन किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डीक्री के होते हुये भी, विधिमान्य समझा जायेगा,"

3. **बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 14क (2) का प्रतिस्थापन।** – उक्त अधिनियम की धारा–14क की उप–धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

   "(2) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उपविधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन, इस धारा के प्रावधान के अधीन सम्पन्न होगा यदि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो परन्तु निर्वाचन का परिणाम घोषित नही हुआ हो।"

4. **बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 14क (3) का प्रतिस्थापन।** – उक्त अधिनियम की धारा–14क की उप–धारा (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

   "(3) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उपविधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन, इस अधिनियम की धारा–14 की उप–धारा (9) में यथा विहित प्रबंध समिति की कालावधि की समाप्ति के पूर्व अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पारित प्रबंध समिति के अधिक्रमण आदेश की तिथि से नौ माह के भीतर संपन्न होगाः

   परन्तु इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि को प्रबंध समिति के अधिक्रमण के मामले में, प्रबंध समिति का निर्वाचन नौ माह के भीतर होगा।"

5. **बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 14क (4) का विलोपन।** – उक्त अधिनियम की धारा–14क की उप–धारा (4) एतद्द्वारा विलोपित की जाती है।

6. **बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 14क (5) का विलोपन।** – उक्त अधिनियम की धारा–14क की उप–धारा (5) एतद्द्वारा विलोपित की जाती है।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, ताकि इन्हें प्रजातांत्रिक रूप से अधिक सुशासित बनाया जा सके तथा निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन अधिक पारदर्शी हो सके।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या–7581/08 एवं समरूप याचिकाओं में दिनांक 23 सितम्बर 2011 को पारित आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में अपेक्षित संशोधन किया जाय। यह संशोधन इस प्रकार किया जाय, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के वर्ग के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन प्राधिकार को सौंपने हेतु सरकार को सहकारी समिति अथवा समितियों के चयन की आवश्यकता नहीं पड़े। बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा ही हो।

अतः बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के कतिपय धाराओं में संशोधन करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा उसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रामाधार सिंह)
भारसाधक सदस्य

पटनाः
दिनांकः 08 दिसम्बर, 2011

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 784-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in